

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

@ Govt. of Harvana

CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 6, 2013 (PHALGUNA 15, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 6th March, 2013

No. 9-HLA of 2013/13.— The Harvana Police (Amendment) Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 9-HLA of 2013

THE HARYANA POLICE (AMENDMENT) BILL, 2013

A

BILL.

further to amend the Haryana Police Act, 2007.

Be it enacted by the Legislature of the State of Harvana in the Sixtyfourth Year of the Republic of India as follows:-

1.

This Act may be called the Haryana Police (Amendment) Act, 2013.

In sub-section (2) of section 4 of the Haryana Police Act, 2007 (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "or District Level Police Recruitment Boards" the words and signs "and if required, also through District Level Police Recruitment Boards/Committees", shall be substituted.

section 4 of Haryana Act 25 of 2008.

Amendment of

Short title

In the principal Act, after section 4, the following sections shall be inserted, namely :---

Insertion of certain sections in Haryana Act 25 of 2008

"4A. Constitution of Boards. - The State Government shall by notification, constitute a State Level Police Recruitment Board and

Price: Rs. 5.00 (1267) may also constitute as many District Level Police Recruitment Boards/ Committees, as may be necessary for recruitment to various ranks in the police service.

- 4B. Composition of State Level Police Recruitment Board.— The State Level Police Recruitment Board shall consist of a Chairman and six members. Mode of appointment of Chairman and members of the State Level Police Recruitment Board shall be such as may be prescribed.
- 4C. Appointment of Chairman and members of District Level Police Recruitment Board/Committee.— The eligibility condition, mode of appointment, terms and conditions of service, tenure etc. of Chairman and non-official member of the District Level Police Recruitment Board/Committee, shall be such as may be prescribed.
- 4D. Terms and conditions of Chairman, non-official members.

 (1) The Chairman and every non-official member unless he becomes disqualified for continuing as such, shall hold office for a term of three years or until he attains the age of seventy years, which ever is earlier, on such terms and conditions, as may be prescribed:

Provided that the Chairman and a member may, by writing under his hand, addressed to the State Government, may resign from his office.

- (2) A person who holds office as a Chairman or member shall, on the expiration of his term of office, be eligible for re-appointment to that office for another term till he attains the age of seventy years.
- (3) The salary, allowances and perks of Chairman and non-official members shall be such, as may be prescribed.
- 4E. Power to remove.—(1) The Chairman or member may be removed from his office by the order of the State Government on the grounds of misconduct, misbehaviour or corruption and after an inquiry by a retired High Court Judge when it is held that he ought to be removed on such ground.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may by order remove the Chairman or any member from his office, if he,—
 - (a) is adjudged as insolvent; or
 - (b) engages during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office; or

- (c) in the opinion of the State Government is unfit to continue his office by reason of infirmity of mind or body or of proved misconduct.
- 4F. Staff.-(1) The State Government shall provide the State Level Police Recruitment Board and the District Level Police Recruitment Board/Committee with requisite supporting staff for smooth and efficient functioning.
- (2) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of supporing staff shall be such as may be prescribed.
- 4G. Headquarter.— The headquarters of the State Level Police Recruitment Board and the District Level Police Recruitment Board/ Committee shall be at such place, as the State Government may notify from time to time."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas, direct recruitment to various ranks in the Police Recruitment through a State Level Police Recruitment Board/District Level Police Recruitment Board by a transparent process is an objective stated in the Haryana Police Act, 2007 and whereas, the Act does not have a substantive provision for establishment of a State Level Police Recruitment Board/District Level Police Recruitment Board. Moreover, District Level Board or Committee being an option in addition to the State Level Board has already not been spelt out clearly.

2. Now, it is with the objective of incorporating a substantive and specific reference to the State Level Police Recruitment Board and to provide for matters concering tenure, appointments, terms and conditions etc. relating to this board that these amendments are being introduced. This amendment would further enable the prescription and notification of Rules/Regulations which would govern the overall functioning of the State Level Police Recruitment Board/District Level Police Recruitment Board/Committee.

BHUPINDER SINGH HOODA, Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh: The 6th March, 2013.

SUMIT KUMAR, Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

There will be financial implication of Rs. 5.25 Crore approximately annually for Constitution of Haryana State Level Police Recruitment Board/District Level Police Recruitment Boards/Committees.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The proposed amendments would further enable the prescription and notification of Rules/Regulations which would govern the overall functioning of the State Level Police Recruitment Board and the District Level Police Recruitment Board/Committee. This delegation of power to the authorities is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation is required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2013 का विधेयक संख्या 9 - एच०एल०ए०

हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2013

हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2013. कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम।

संशोधन ।

2. हरियाणा पुलिस अधिनियम. 2007 (जिसे. इसमें, इसके बाद. मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 4 की उपधारा (2) में. "या जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्डों के माध्यम से की जाएगी " शब्दों के स्थान पर, "के माध्यम से और यदि अपेक्षित हो, तो जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्डों/सिमितियों के माध्यम से भी की जाएगी." शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2008 के हरियाणा अधिनियम संख्या 25 की धारा 4 का

3. मूल अधिनियम में, धारा ४ के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :---

2008 के हरियाणा अधिनियम संख्या 25 में कतिपय घाराओं का रखा जाना

"4क. बोर्ड का गठन.— राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन करेगी तथा अनेक जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड/समितियां भी गठित कर सकती है. जो पुलिस सेवा में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आवश्यक हों।

4ख. राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड की संरचना.— राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड अध्यक्ष तथा छह सदस्यों से मिलकर बनेगा। राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति का ढंग ऐसा होगा जो विहित किया जाए।

4ग. जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड/सिमित के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति.— जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड/सिमित के अध्यक्ष तथा गैर-सरकारी सदस्य की पात्रता शर्ते. नियुक्ति का ढंग, सेवा के निबन्धन तथा शर्ते, पदाविध इत्यादि ऐसी होगी जो विहित की जाएं।

4घ अध्यक्ष, गैर-सरकारी सदस्यों के निबन्धन तथा शर्ते.— (1) अध्यक्ष तथा प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य जब तक वह इस प्रकार बने रहने के लिए अयोग्य नहीं हो जाता, तब तक तीन वर्ष की अविध के लिए या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर पद धारण करेगा, जो विहित की जाए. परन्तु अध्यक्ष तथा सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

- (2) कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद घारण करता है, उसकी पदावधि की समाप्ति पर, उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक दूसरी अवधि के लिए उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (3) अध्यक्ष तथा गैर-सरकारी सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पर्क ऐसे होंगे, जो विहित किए आएं।
- 4ङ. हटाने की शिक्तें... (1) अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार, दुराचार या भ्रष्टाचार के आधारों पर तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश द्वारा जांच-पड़ताल के बाद जब यह निर्णीत हो जाता है कि उसे ऐसे आधार पर हटाया जाना चाहिए था तो राज्य सरकार के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।
- (2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से आदेश द्वारा हटा सकती है, यदि वह, —
 - (क) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है; या
 - (ख) उसकी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी सदत्त नियोजन में लगा हुअ! है; या
 - (ग) राज्य सरकार की राय में मानसिक था शारीरिक शैथिल्य या सिद्ध कदाचार के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो गया है।
- 4च. अमला.— (1) राज्य सरकार निर्बोध तथा दक्ष कृत्यों के लिए अपेक्षित समर्थित अमले सिंहत राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड तथा जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड/सिमिति की व्यवस्था करेगी।
- (2) समर्थित अमले को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्ते ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।
- 4छ. मुख्यालय.— राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड तथा जिल्म स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड समिति का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे।"।

उददेश्यों तथा कारणों का विवरण

चूंकि. किसी पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड/जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से पुलिस भर्ती में विभिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 में कथित उद्देश्य प्राप्त करना है तथा चूंकि, अधिनियम में राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड/जिला स्तरीय पुलिस मर्ती बोर्ड के लिए पर्याप्त उपबन्ध नहीं हैं. इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय बोर्ड या समिति, राज्य स्तरीय बोर्ड के ईलावा विकल्प होते हुए पहले से स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है।

2. अब, राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए तथा इस बोर्ड से सम्बन्धित अविध, नियुक्ति, निबन्धन तथा शर्ते इत्यादि से सम्बद्ध मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु पर्याप्त तथा विशिष्ट सन्दर्भ शामिल करने के उद्देश्य से कि ये संशोधन प्रस्तुत किया जा रहे हैं। यह संशोधन से आगे नियमों, विनियमों के आदेश और अधिसूचना को समर्थ बनाएगा जो राज्य स्तरीय पुलिस मर्ती बोर्ड तथा जिला स्तरीय पुलिस मर्ती बोर्ड तथा जिला स्तरीय पुलिस मर्ती बोर्ड समिति के सम्पूर्ण कृत्य करेगा।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

वण्डीगढ़ : 6 मार्च 2013. सुमित कुमार, सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड की संरचना/जिला स्तरीय भर्ती बोर्ड के गठन से राजकोष पर लगभग 5.25 करोड़ रुपये का अनुमानित वार्षिक बोझ पड़ेगा।

प्रत्यायोजन विधान के बारे जापन

प्रस्तावित संशोधन आगे नियमों, विनियमों के आदेश और अधिसूचना को समर्थ बनायेगा जो राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड तथा जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड/समिति के सम्पूर्ण कृत्य करेगा। प्राधिकरण को शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य आचरण का है। अतः हरियाणा विधान मंडल के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम् 126 के अन्तर्गत वांछित प्रत्यायोजन विधान का जापन संलग्न है।